587

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

राम गर्ग पुत्र कन्हैयालाल गर्ग

निवासी–मदनमोहन पथ सिरोंज

तहसील–सिरोंज जिला–विदिशा

विरूद्व

पृथ्वीराज सिंह पुत्र ज्ञान सिंह राजपूत

ग्राम–रूसल्ली दामा तहसील–सिरोंज

जिला–विदिशा

अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–01–2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदन निम्न लिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक ने प्रकरण में विवादित भूमि अभिलिखित भूमि स्वामी जीवन सिंह पुत्र सरमन सिंह से क्रय की थी क्रय करने के पश्चात तहसीलदार ने नियमानुसार कार्यवाहीं करने के पश्चात दिनांक 10–01–2013 को आवेदक का नामांतरण करने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व असंबंधित व्यक्ति/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राहय करने में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि अपीलार्थी ने उक्त भूमि जीवन सिंह पुत्र सरमन सिंह जो की उक्त भूमि का भूमि स्वामी था से क्रय की थी। भूमि स्वामी विक्रेता द्वारा आवेदक के नामांतरण को कोई चुनौती नहीं दी गयी और ना ही नामांतरण की कार्यवाहीं में कोई आपत्ति प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दू पर विचार किये बिना अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राहय करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है इस कारण से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है.

4. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना मनमाने ढंग से आवेदक की आपत्ति को निरस्त करते हुये अनावेदक हितबद्व पक्षकार मानने में अपने

XXIX(a)-BR(H)-11

(5७)

RCMS

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-566-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	